



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4622/2007

याचिकाकर्ता:

अभिषेक कुमार दानी, पिता स्व. श्री आर.पी. दानी, आयु लगभग 32 वर्ष, वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला, मोहभट्टा, विकासखण्ड बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.) में पदस्थ।

विरुद्ध

उत्तरवादी:

High Court of Chhattisgarh

Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:



श्री पी.पी. साहू, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, राज्य हेतु उप महाधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 14.03.2008 को पारित)

- 1) याचिकाकर्ता को जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला, बेमेतरा द्वारा दिनांक 03.01.1995 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर शासकीय प्राथमिक शाला, मोहभट्टा, विकासखण्ड बेमेतरा, शिक्षा जिला, दुर्ग में पदस्थ था, जब डिप्टी कलेक्टर द्वारा कलेक्टर (राजस्व), जिला दुर्ग की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांक 22.07.2007 (संलग्नक पी/1) पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण शिक्षा जिला, बेमेतरा से शिक्षा जिला, दुर्ग के प्राथमिक शाला, कोटेरा, विकासखण्ड डौंडीलोहारा में कर दिया गया।
- 2) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण शिक्षा जिला, बेमेतरा से शिक्षा जिला, दुर्ग में होने से उसकी सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता शिक्षा जिला, बेमेतरा द्वारा संधारित सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची (दिनांक 01.04.2006 की स्थिति में) में क्रमांक 887 पर है। विद्वान अधिवक्ता ने जिला शिक्षा



अधिकारी, बेमेतरा द्वारा जारी एक पदोन्नति आदेश दिनांक 02.08.2007 (संलग्नक पी/7) का अवलंब लिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनारक्षित श्रेणी के उन सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.08.1982 तक हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक पी/8) का संदर्भ दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि शिक्षा जिला, दुर्ग में सामान्य श्रेणी (अनारक्षित श्रेणी) के उन सहायक शिक्षकों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया है जिनकी नियुक्ति दिनांक 08.09.1972 तक हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि बेमेतरा जिले के साथ-साथ दुर्ग जिले में, जहाँ याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, पदोन्नति के अवसरों को देखते हुए, याचिकाकर्ता इस स्थानांतरण से काफी प्रभावित और व्यथित हुआ है। अतः, स्थानांतरण आदेश दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क की पुष्टि के लिए, श्री साहू ने अलेख कुमार देवता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (रिट याचिका क्रमांक 604/2005) तथा अन्य संबद्ध मामलों (2005 (2) सी.जी.एल.जे. 160) के प्रकरणों में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।





- 3) इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने तर्क दिया है कि यह सत्य है कि शिक्षा जिला दुर्ग में दिनांक 08.09.1972 तक नियुक्त सहायक शिक्षकों पर उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया है, परंतु इससे याचिकाकर्ता के भविष्य की वृत्तिक संभावनाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 4) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण शिक्षा जिला, बेमेतरा से (जहाँ उसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था) शिक्षा जिला, दुर्ग में किया जाता है, तो उसकी वृत्तिक संभावनाएं काफी प्रभावित और बाधित होंगी। यह स्वीकार्य तथ्य है कि शिक्षा जिला, बेमेतरा में दिनांक 01.08.1982 तक नियुक्त सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि शिक्षा जिला, दुर्ग में केवल दिनांक 08.09.1972 तक नियुक्त सहायक शिक्षकों को ही उच्च श्रेणी शिक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया है।
- 5) राज्य/उत्तरवादियों ने दिनांक 26.02.2008 को प्रस्तुत अपने प्रत्युत्तर में निम्नानुसार कथन किया है:





"यह स्वीकार किया जाता है कि, राजस्व जिला दुर्ग में दो अलग-अलग शिक्षा जिले हैं और दोनों शिक्षा जिलों की वरिष्ठता सूची अलग-अलग संधारित की जाती है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि, याचिकाकर्ता की वरिष्ठता निश्चित रूप से प्रभावित होगी, परंतु, यह संभव है कि याचिकाकर्ता की स्थिति बदल जाए और वह वरिष्ठता सूची में ऊपर आ जाए।"

- 6) इस न्यायालय ने ग्राम सहायक (सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी) के मामले में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात अभिनिर्धारित किया है कि किसी ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण, जिसकी वरिष्ठता जिला स्तर पर संधारित की जाती है, यदि दूसरे जिले में स्थानांतरण पर उसकी सेवा शर्तें प्रभावित होती हैं, तो वह दोषपूर्ण है।

- 7) राजेन्द्र राँय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य¹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"यह सत्य है कि स्थानांतरण का आदेश अक्सर संबंधित कर्मचारियों के पारिवारिक ढांचे में बहुत सारी कठिनाइयां और अव्यवस्था पैदा करता है, लेकिन उस आधार पर स्थानांतरण के आदेश को रद्द नहीं किया जा



सकता है। जब तक कि ऐसा आदेश असद्भावी न हो या सेवा के नियमों और स्थानांतरण के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में बिना किसी उचित औचित्य के पारित न किया गया हो, न्यायालय और अधिकरण को स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्थानांतरणीय पद में स्थानांतरण का आदेश एक सामान्य परिणाम है और व्यक्तिगत कठिनाइयां विभाग के विचार के विषय हैं।"

8) के. नारायणन एवं अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य² के प्रकरण में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"सेवा में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति निरंतरता, पदोन्नति आदि में समानता के प्रति उचित रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता है। इसका उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्यपालिक कार्यवाही को कायम नहीं रखा जा सकता है। वरिष्ठता सेवा की एक घटना है जिसे किसी ऐसे नियम द्वारा कम या सीमित नहीं किया जा सकता है जो भेदभावपूर्ण रूप से संचालित होता हो।"

9) उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध सिया राम एवं अन्य³ के प्रकरण में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

2 ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 55

3 2004 (7) एस.सी.सी. 405



"किसी भी शासकीय सेवक या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी को हमेशा के लिए किसी एक विशेष स्थान या अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थ रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो लोक हित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी आवश्यक है। जब तक कि स्थानांतरण के आदेश को असद्भावी प्रक्रिया का परिणाम न दिखाया जाए या यह न कहा जाए कि यह स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में है, न्यायालय या अधिकरण सामान्यतः ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मानो वे नियोक्ता/प्रबंधन के विनिश्चय के स्थान पर अपना विनिश्चय प्रतिस्थापित करने वाले अपीलीय प्राधिकारी हों, जो संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित किए गए हों।"

10. **भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध जनार्दन देवनाथ एवं अन्य⁴** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"इसके अतिरिक्त, भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि जैसा कि स्वयं विशेष अनुमति याचिका में बताया गया गया है,



वरिष्ठता या पदोन्नति की संभावनाओं की किसी भी हानि का कोई प्रश्न ही नहीं था। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर एक उचित कार्यवाही में विचार किया जा सकता है, यदि वरिष्ठता या पदोन्नति के मामले में कोई प्रतिकूल आदेश होता है।"

"उत्तरवादियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और आरोपित आचरण निश्चित रूप से अशोभनीय है। क्या कोई दुर्यवहार हुआ था, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभागीय कार्यवाही में विचार किया जा सकता है। स्थानान्तरण करने के प्रयोजनों के लिए, यह पता

लगाने हेतु जांच करना कि क्या दुर्यवहार या कर्मचारी का अशोभनीय आचरण था, अनावश्यक है और जो आवश्यक है वह शिकायत की गई

घटना के बारे में समकालीन प्रतिवेदनों पर संबंधित प्राधिकारी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है। यदि उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता के सुझाव के अनुसार विस्तृत जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, तो

शिष्टाचार लागू करने और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए लोक हित या प्रशासन की आवश्यकताओं में एक कर्मचारी को स्थानान्तरित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। क्या उत्तरवादियों को एक अलग संभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है, यह नियोक्ता के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के





समाधान की सीमा के आधार पर विचार करने का विषय है। यह इस न्यायालय के लिए एक या दूसरे तरीके से निर्देश देने का विषय नहीं है।"

11) उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, जहाँ याचिकाकर्ता का स्थानांतरण शिक्षा जिला, बेमेतरा से शिक्षा जिला, दुर्ग में करने से उसकी सेवा की वृत्तिक संभावनाएं काफी प्रभावित होंगी, क्योंकि उसे शिक्षा जिला, दुर्ग में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने का अवसर बाद में मिलेगा, जबकि शिक्षा जिला, बेमेतरा में उसे शीघ्र पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अवसर प्राप्त होता।

12) विधि के सुस्थापित सिद्धांतों और ऊपर वर्णित कारणों के आलोक में, याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 22.07.2007 (संलग्नक पी/1) अपास्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

